कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग सुलतानपुर।

पत्रांक– 2197/14-10 दिनांक सुलतानपुर 11-12- 2020 ।

सेवा में,

अधिशाषी अभियन्ता,
अति0 निर्माण खण्ड,
उ0प्र0, जल निगम,
सुलतानपुर।

विषयः जनपद–सुलतानपुर में सांसद आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड–कूरेभार के वल्लीपुर जोन–2, ग्राम–रतनपुर, तहसील–सदर में पेयजल पाईप लाइन बिछाने हेतु 0.1095 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 0.01245 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात कुल 0.12195 हे0 वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव सं0– 11सी/FP/UP/Water/39692/2019
सन्दर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक– 2009/14–10 दिनांक 26.11.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 की पत्र संख्या– पी–102/81–2– 2020–800 (110)/2020 द्वारा प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि ई–पेमेण्ट पोर्टल के माध्यम से जमा किये जाने हेतु लिखा गया था, किन्तु विशेष सचिव उ0प्र0 शासन के पत्रांक– पी–102/81–2–2020–800 (110)/2020 द्वारा प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति के शर्त संख्या–10 के अनुसार " प्रस्तावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा 10 वर्षो तक अनुरक्षण का प्राविधान किया गया है।" जिसके अनुसार पूर्व में प्रेषित क्षतिपूरक प्राकलन संशोधित कर संशोधित प्राकलन के अनुसार धनराशि ई–पेमेन्ट के माध्यम से जमा किया जाना अपेक्षित है।

जमा की जाने वाली धनराशि निम्न प्रकार हैः–

क्र0सं0	धनराशि का मद	धनराशि
1.	प्रभावित संरक्षित/आरक्षित वन भूमि 0.12195 हे0 का नेट प्रजेन्ट वैल्यू (एन0पी0वी0)	1,04,920.00
2.	प्रभावित संरक्षित (0.01245 हे0) वन भूमि व आरक्षित (0.1095 हे0) वन भूमि कुल 0.12195 हे0 के दुगुने 0.2439 हे0 अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि	83,989.00
	कुल योग	188909.00
		एक लाख अठासी हजार नौ सौ नौ मात्र

यह मूल्य अन्तरिम है। शासन द्वारा अन्तिम दरें तय किये जाने पर अतिरिक्त धनराशि ई–पेमेण्ट पोर्टल के माध्यम से देय होगी। संदर्भित पत्र द्वारा अपेक्षित शेष अन्य बिन्दुओं की अनुपालन आख्या निर्धारित प्रारूप में बिन्दुवार भरकर एवं उपरोक्त धनराशि जमा किये जाने की पावती रसीद सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(आनन्देश्वर प्रसाद)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सुलतानपुर।

Com 3/Compilar 2

क्रमशः..........2 पर

Scanned with CamScanner

पत्रांकः—   /   उक्तदिनांकित ।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0, कैम्पा, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वन संरक्षक, सरयू वृत्त, उ0प्र0, अयोध्या।

(आनन्देश्वर प्रसाद)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सुलतानपुर।

Com 3/Compilar 3

Scanned with CamScanner